नियमावली

1. संस्था का नाम : राजकुमार एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी।
2. संस्था का पता : 9/70, बहार सहारा स्टेट, जानकीपुरम, लखनऊ।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4. संस्था का सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :

आजीवन सदस्य : – जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु 2001/रू0 नगद या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति चल या अचल रूप में निःस्वार्थ भाव से देगा वह संस्था का आजीवन सदस्य होगा।

सामान्य सदस्य :– जो व्यक्ति संस्था को 101/–रूपये वार्षिक प्रदान करेगा वह संस्था का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा।

5. सदस्य की अर्हतायें :– कोई भी व्यक्ति जो संस्था के कार्यक्षेत्र का मूल निवासी हो, स्वस्थ चित्त एवं बालिग हो, भारतीय नागरिक हो, न्यायालय द्वारा अपराधी दिवालिया, पागल आदि घोषित न हुआ हो संस्था के कार्यकलापों पर आस्था रखता हो, वे निर्धारित शुल्क देकर संस्था का सदस्य बन सकते है।

6. सदस्यता की समाप्ति :–

1. मृत्यु हो जाने पर।
2. पागल या दिवालिया हो जाने पर।
3. संस्था के विपरीत हानिकारक कार्य करनें पर।
4. अविश्वास प्रस्ताव या त्याग पत्र पारित होने पर।
5. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न अदा करने पर।
6. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर।
7. नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।

गीता

Jayanti

Ramy Shukla

7. संस्था के अंग

1. साधारण सभा
2. प्रबंधकारिणी समिति

साधारण सभा

गठन — संस्था के आजीवन एवं सामान्य सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

बैठकें — साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैठकें आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि — सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 07 दिन पूर्व सदस्यों को लिखित रूप में दी जायेगी।

गणपूर्ति — साधारण सभा के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन :

साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा तय की जायेगी।

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ मण्डल लखनऊ